



इलाहाबाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरनगर जल्ले में उस थाने के प्रभारी के नलिंबन पर रोक लगा दी है जहां से दो युवकों की हत्या के सात आरोपियों की र्हाई के बाद सांप्रदायिक हिंसा भू की थी

इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने इन आरोपियों की र्हाई के ली कथित तौर पर दबाव बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान के नोटिस जारी किया

न्यायमूर्त सुधीर अग्रवाल ने फुगाना के थाना प्रभारी ओम वीर सहि सरीही के नलिंबन पर रोग लगा दी और खान से कहा कि वह नोटिस मल्लने के 10 दिनों के भीतर अपना हलफनामा दायर करें राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब देने के ली कहा गया है

याचकिकर्ता क कहना था कि दो युवकों की हत्या के मामले में बीते 28 अगस्त के सात आरोपियों के गरिप्तार करके फुगाना थाने में लाया गया था, 'लेकिन आजम खान के दबाव के कारण उन्हें तत्काल र्हा कर दिया गया'

(भाषा)